कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की दिनांक 07 अगस्त, 2020 को आयोजित शासी निकाय की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शासी निकाय की 16वीं बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2020 को आहूत हुयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुयेः–

1. श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
2. श्री एल0 वेंकटेश्वर लू, महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0।
3. डॉ0 सारिका मोहन, निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उ0प्र0।
4. डॉ0 यू0पी0 सिंह, निदेशक, पशुपालन, उ0प्र0।
5. श्रीमती किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
6. श्री आर0के0 सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि भवन, उ0प्र0।
7. श्री प्रकाश बिन्दु, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0।
8. डॉ0 डी0सी0 उपाध्याय, अपर निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान।
9. श्री बी0एस0 लोहड़ा, डी0जी0एम0, एस0एल0बी0सी0।
10. श्री बृजेश गुप्ता, मुख्य प्रबन्धक।
11. श्री कृष्ण प्रसाद, उपनिदेशक, सोशल वेलफेयर, उ0प्र0।
12. श्री राम आसरे सिंह, उपनिदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, उ0प्र0।
13. ममता चौहान, फैकल्टी, उद्यमिता विकास चौहान।

शासी निकाय की 16वीं बैठक में निम्न विवरण के अनुसार एजेण्डा बिन्दुओं पर निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
1	विगत 15वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन एवं पुष्टि का अनुमोदन।	शासी निकाय की 15वीं बैठक में समस्त बिन्दुओं पर लिये गये निर्णय का अनुपालन कर लिया गया है, किसी बिन्दु पर कार्यवाही लम्बित नहीं है। कृपया समिति अनुपालन की पुष्टि पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	**समिति अवगत हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।**
2	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन।	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना जो रु0 2038.12 करोड़ की है। वार्षिक कार्ययोजना समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में अग्रिम प्रति भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी, जिसका अनुमोदन भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2020 को प्रदान किया जा चुका है। उक्त के क्रम में वार्षिक कार्ययोजना पर समिति से अनुमोदन अपेक्षित है।	**समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**
3	संकुल स्तरीय संघ के गठन हेतु आंतरिक	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत संकुल स्तरीय संघ का गठन वर्तमान में अन्य राज्यों के सीनियर वाहय सी0आर0पी0 के माध्यम से किया जाता	**समिति द्वारा आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित**

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
	सी0एल0एफ0 सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन नीति का अनुमोदन	रहा है। इन वाहय सी0आर0पी0 का सेवा शुल्क अधिक होता है एवं उनकी समय से उपलब्धता भी अनिश्चित होती है। वर्तमान में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आंतरिक सी0एल0एफ0 सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की व्यवस्था करने में सक्षम हो गया है, जिसके द्वारा संकुल स्तरीय संघ का गठन किया जा सकता है। मिशन द्वारा अपने संकुल स्तरीय संघ के गठन हेतु आंतरिक सी0एल0एफ0 सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन एवं प्रशिक्षण कराते हुए संकुल स्तरीय संघ का गठन किया जाना प्रस्तावित है। आंतरिक सी0एल0एफ0 सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन से कार्य कराये जाने से प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त होने के साथ–साथ उनकी क्षमता विकास एवं आत्मविश्वास में भी वृद्वि होगी। इसके अतिरिक्त बाहरी सी0आर0पी0 पर निर्भरता समाप्त होगी। भारत सरकार के निर्देशों (कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल) के प्राविधानों के. अन्तर्गत प्रदेश आंतरिक सी0एल0एफ0 सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन नीति तैयार की गयी है। संकुल स्तरीय गठन हेतु आंतरिक सी0एल0एफ0 सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की सेवाएं शुल्क आधारित होंगी। मिशन द्वारा संकुल स्तरीय संघ के गठन हेतु आंतरिक सी0एल0एफ0 सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का प्रतिदिन के सेवा शुल्क का निर्धारण डे–एन0आर0एल0एम0 का मास्टर सर्कुलर, पार्ट–2 Guidence for Mission Implementation के आधार पर किया गया है।	**किया गया।**

<table>
<tr><th>एजेण्डा बिन्दु संख्या</th><th>एजेण्डा बिन्दु</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>क्रम स.</th><th>आंतरिक सी०एल०एफ० सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का वर्गीकरण</th><th>सेवा शुल्क (रु०)</th><th>भोजन भता (रु०)</th><th>यात्रा भता (रु०)</th><th>•स्थानीय यात्रा भता• (रु०)</th><th>बीमा (जीवन बीमा एवं सुरक्षा बीमा) (रु०)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आन्तरिक विकासखंड</td><td>500 रु/सदस्य / दिन</td><td>100 रु / सदस्य/दिन</td><td>वास्तविक लागत के अनुसार</td><td>300रु/सदस्य/प्रति चरण</td><td rowspan="3">500रु/सदस्य/वर्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अंतर विकासखंड</td><td>550 रु / सदस्य / दिन</td><td>150 रु / सदस्य / दिन</td><td>वास्तविक लागत के अनुसार</td><td>300रु/सदस्य/प्रति चरण</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अंतर जनपद</td><td>600 रु / सदस्य / दिन</td><td>200 रु / सदस्य / दिन</td><td>वास्तविक लागत के अनुसार</td><td>500रु/सदस्य/प्रति चरण</td></tr>
</table>
उल्लेखनीय है कि संकुल संघ के गठन हेतु आंतरिक सी0एल0एफ0 सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन पूर्णतः अपने संकुल स्तरीय संघ की कैडर होंगी एवं इनका मिशन के साथ किसी भी प्रकार का शासकीय अथवा अशासकीय सम्बन्ध नहीं होगा और ना ही वे मिशन की स्टॉफ कहलायेंगी। मिशन में कार्यरत आंतरिक सी0आर0पी0 के माध्यम से ही संकुल गठन हेतु आंतरिक सी0एल0एफ0 सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन किया जायेगा। समिति से अनुरोध है कि आंतरिक सी0एल0एफ0 सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन नीति पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>वित्तीय वर्ष 2018–19 की वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण।</td><td>उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वित्तीय वर्ष 2018–19 का वैधानिक ऑडिट मे0 पी0एस0 भार्गव एण्ड एसोसिएट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त ऑडिटेड बैंलेस शीट स्वीकार करते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। तद्नुसार वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट शासकीय निकाय के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</td><td>समिति द्वारा आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>वर्ष 2019–20 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना में आई0बी0सी0बी0 के अंतर्गत अप्रयुक्त धनराशि</td><td>उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की अनुमोदित कार्ययोजना में आई0बी0सी0बी0 मद के अन्तर्गत रु0 62415.14 लाख के सापेक्ष रु0 20995.69 लाख का उपभोग किया गया है। इसी प्रकार कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड मद में अनुमोदित धनराशि रु0 63247.37 लाख के सापेक्ष अनऑडिटेड रिपोर्ट के अनुसार रु0 65927.35</td><td>समिति द्वारा आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।</td></tr>
</table>

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
	को कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फण्ड में व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन।	लाख धनराशि 31 मार्च, 2020 तक व्यय की गयी। इस प्रकार अनऑडिटेड रिपोर्ट के अनुसार कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड मद में वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु0 2679.98 लाख का प्राविधानित परिव्यय से अधिक व्यय किया गया है। इस धनराशि को आई0बी0सी0बी0 मद की अप्रयुक्त धनराशि रु0 41419.45 लाख में से वहन किया गया है। भारत सरकार के प्राविधान के अनुसार 10 प्रतिशत तक अधिक व्यय को अनुमन्य किया जा सकता है। अतः कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड मद में रु0 2679.98 लाख के अधिक व्यय पर समिति अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	
6	**अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**		
6.1	मिशन मुख्यालय में कार्यरत लेखाधिकारी एवं जिला मिशन प्रबन्धन इकाई में कार्यरत लेखा सहायकों के यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में।	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में लागू वित्तीय नियमावली के अनुसार जिला मिशन प्रबन्धन इकाई में कार्यरत लेखा सहायकों का मासिक मानदेय रु0 30000 तथा मिशन मुख्यालय में कार्यरत लेखाधिकारी का मासिक मानदेय रु0 45000 निर्धारित है, किन्तु मानव संसाधन नियमावली में लेखा सहायक एवं लेखाधिकारी के पदनाम का उल्लेख नहीं होने के कारण यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान में असुविधा हो रही है। मानव संसाधन नियमावली में मिशन मुख्यालय पर कार्यरत परियोजना प्रबन्धक का मानदेय रु0 45000 तथा विकासखण्ड स्तर हेतु ब्लॉक मिशन मैनेजर (मासिक मानदेय रु0 25000) है। अतः प्रस्ताव है कि मुख्यालय स्तर पर कार्यरत लेखाधिकारी के यात्रा एवं अन्य भत्ते मिशन मुख्यालय पर अनुमोदित परियोजना प्रबन्धक के समकक्ष किये जायें तथा जनपद स्तर पर कार्यरत लेखा सहायक के यात्रा एवं अन्य भत्ते ब्लॉक मिशन प्रबन्धक के समतुल्य दिये जायें। कृपया समिति उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	**समिति द्वारा आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।**
6.2	बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के साथ अभिसरण के माध्यम से उ0प्र0 राज्य	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की निर्धन महिलाओं को समूह में जोड़कर उनके आजीविका संवर्द्धन का कार्य किया जा रहा है। तत्क्रम में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के साथ अभिसरण के माध्यम से समूह की महिलाओं द्वारा प्रदेश के 18	**समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
	ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 18 जनपदों के 204 विकासखण्डों में पुष्टाहार उपलब्ध कराये जाने हेतु बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मध्य अनुबन्ध किये जाने का अनुमोदन।	जनपदों क्रमशः अम्बेडकरनगर, औरैया, अलीगढ़, बागपत, बॉदा, बिजनौर, चन्दौली, इटावा, फतेहपुर, गोरखपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मैनपुरी मिर्जापुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर एवं उन्नाव के 204 विकासखण्डों में पुष्टाहार उत्पादन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को वितरण कराने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न आदेशों में भी पुष्टाहार उत्पादन का कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कराये जाने हेतु समय–समय पर निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 29 जून, 2020 को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय हुआ है कि उपरोक्त 18 जनपदों के 204 विकासखण्डों में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पुष्टाहार इकाई की स्थापना किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में कैबिनेट की बैठक में उक्त प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। ऐसे सफल उदाहरण के रुप में केरल राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन (कुदुम्बश्री) द्वारा राज्य में पुष्टाहार का उत्पादन एवं वितरण का कार्य समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इसी तरीके के प्रयास देश के विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, ओडिशा एवं बिहार में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत उक्त कार्य के सुचारु संचालन हेतु मिशन मुख्यालय स्तर पर डेडीकेटेड प्रोजेक्ट प्रबन्धन टीम का गठन किया जा चुका है तथा टेक्निकल एजेन्सी के रुप में वर्ड फूड प्रोग्राम से तकनीकी सहयोग प्राप्त करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त के क्रम में अब तक समस्त चयनित 18 जनपदों के समस्त 204 विकासखण्डों में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का उक्त कार्य को किये जाने हेतु चयन पूर्ण किया जा	

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
		चुका है। समस्त 18 जनपदों को उत्पादन इकाई स्थापित करने के स्थान के चयन के सम्बन्ध में स्पेसिफिकेशन निर्गत किये जा चुके हैं, तथा समस्त विकासखण्डों में इकाई की स्थापना हेतु स्थान का चयन पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर उक्त कार्य हेतु नोडल नामित किए जा चुके हैं। जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर नामित नोडल को वर्ड फूड प्रोग्राम के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। वर्ड फूड प्रोग्राम द्वारा तकनीकी सहयोग के साथ–साथ 02 इकाईयों की स्थापना की सहमति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में 18 जनपदों के 204 विकासखण्डों में उक्त कार्य को किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के मध्य अनुबन्ध किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
6.3	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत Dynamic Web Portal, MIS Software विकसित किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित Web Portal nrlm.gov.in पर सभी प्रकार की रिपोर्टिंग की जा रही है, परन्तु मिशन की आवश्यकता के अनुसार ना ही इसे कस्टमाइज किया जा सकता है और ना ही विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है, जिससे योजना का ससमय विभिन्न बिन्दुओं पर अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है। तत्क्रम में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत पृथक से Technical Solution Provider for development of Dynamic Web Portal, MIS, ICT Based Product and Services for UPSRLM हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किये जाने की आवश्यकता है। उक्त सॉफ्टवेयर हो विकसित किये जाने हेतु शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। उक्त कार्य सम्पादन हेतु एजेन्सी के चयन के लिए उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत लागू प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार एजेन्सी का प्रोक्योरमेंट किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव शासी निकाय के	**समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
		समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
6.4	वित्तीय वर्ष 2021–22 में बेसिक शिक्षा विभाग एवं उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मध्य अभिसरण के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त विद्यालयों में पढने वाले समस्त विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस एवं स्वेटर की आपूर्ति उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन।	वित्तीय वर्ष 2021–22 में बेसिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत प्रदेश में संचालित समस्त 168343 विद्यालयों में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस का वितरण किया जाना है। उक्त कार्य हेतु समस्त विद्यालयों के समस्त विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु स्कूल ड्रेस उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त कार्य के सुचारु एवं समयबद्व निष्पादन हेतु उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अभी से प्रदेश में संचालित स्वयं सहायता समूहों की मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। स्कूल ड्रेस की तैयारी एवं आपूर्ति से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तत्क्रम में प्रस्ताव शासी निकाय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं बेसिक शिक्षा विभाग के मध्य अभिसरण के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में स्कूल ड्रेस आपूर्ति की प्रगति निम्नवत् हैः– स्कूल ड्रेस आपूर्ति हेतु लक्ष्य– 1,30,24,030 सम्बन्धित बी0एस0ए0/विद्यालय समिति से प्राप्त आर्डर की संख्या– 1,03,60,435 स्कूल ड्रेस सिलाई हेतु समूह को विद्यालयों द्वारा ड्रेस हेतु उपलब्ध कराये गये कपड़ों की संख्या– 18,73,659 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार ड्रेस– 9,38,221	**समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**
6.5	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों (58000) में वित्तीय सेवाओं की ग्राम्य	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के मध्य एक सम्पर्क सूत्र स्थापित करते हुए, इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को बैंक के स्थान पर मिशन अन्तर्गत चयनित बी0सी0 सखी के माध्यम से सीधे उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। यह बी0सी0 सखी बैंक जनता के द्वार की परिकल्पना के	**समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
	स्तर तक पहुंच बनाने के दृष्टिगत 58000 बैंकिंग कॉरस्पोन्डेन्ट सखी (बी0सी0 सखी) को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	आधार पर कार्य करेगी। उक्त योजना में बी0सी0 सखी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ग्रामीण परिवारों व स्वयं सहायता समूहों के मध्य डिजिटल ट्रान्जेक्शन बढ़ाने, योजनाओं से वंचित परिवारों के फायनेन्शियल इन्क्लूजन का सशक्त माध्यम बनने के साथ ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की फायनेन्सियल इन्क्लूशन की मुख्य रणनीति बनेगी। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित है कि प्रदेश की समस्त 58000 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1–1 बी0सी0 सखी का चयन किया जायेगा तथा उक्त हेतु प्रत्येक बी0सी0 सखी को रु0 4000 प्रतिमाह की दर से 6 माह तक प्रोत्साहन राशि उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दी जायेगी। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में बी0सी0सखी के चयन हेतु अब तक की प्रगति निम्नवत् हैः– 1. बी0सी0 सखी के चयन हेतु शासन स्तर से पत्र संख्या–15/2020/184/अड़तीस–6–2020–आर–165/2020 दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा शासनादेश जारी कर समस्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित किया गया है। 2. बी0सी0 सखी के आवेदन हेतु मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन विकसित किया गया है। 3. दिनांक 10 जून, 2020 को बी0सी0 सखी आवेदन का विज्ञापन प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 17 अगस्त, 2020 है। 4. आवेदकों को मोबाइल एप इन्स्टॉल करने, अन्य जानकारी एवं किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण हेतु प्रातः 08 से रात्रि 08 बजे तक के लिए एक डेडीकेटेड कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है। 5. दिनांक 06 अगस्त, 2020 तक कुल 2,17,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 6. बी0सी0 सखी कार्यक्रम के सफल एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु विभिन्न बैंकों, फिनटेक, कॉरपोरेट बी0सी0, पेमेन्ट बैंक आदि से ई0ओ0आई0 आमंत्रित की गयी है, जिसकी अन्तिम तिथि 10 अगस्त, 2020	

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
		है। उपरोक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
6.6	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं पावर कारपोरेशन के साथ किये गये समन्वय के माध्यम से प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों का भुगतान प्राप्त करने हेतु स्वयं सहायता समूहों/महिला सदस्यों को अधिकृत किया जाना।	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं पावर कारपोरेशन के मध्य समन्वय स्थापित कर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में विद्युत बिलों का भुगतान प्राप्त करने हेतु स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को पावर कारपोरेशन द्वारा अधिकृत किया जायेगा। पावर कारपोरेशन के पोर्टल पर नोडल सी0एल0एफ0/एस0एच0जी को एजेण्ड के रुप में अधिकृत किया जायेगा तथा इसके अन्तर्गत पावर कारपोरेशन के पोर्टल पर अपने वैलेट (खाता) खोला जायेगा तथा अग्रिम धनराशि जमा कर उसे रिचार्ज किया जायेगा। वैलेट में उपलब्ध धनराशि के समतुल्य चिन्हित समूह की महिलायें कन्ज्यूमर से बिल प्राप्त कर सकेंगी। कन्ज्यूमर से नगद धनराशि के रूप में बिल प्राप्त किया जायेगा जो बैलेट से स्वतः पोर्टल के माध्यम से डिडक्ट हो जायेगा तथा महिला सदस्य थर्मल प्रिन्टर के माध्यम से बिल की रसीद प्रिन्ट कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा देंगी। बिल भुगतान प्रकिया में एन्ड्रायड स्मार्ट फोन (नेट कनेक्शन सहित) तथा एक हैण्ड डिवाइस (थर्मल प्रिन्टर) की आवश्यकता होगी। इस हेतु यह प्रयास किया गया है कि जिन महिला सदस्यों के पास पूर्व में ही स्मार्ट फोन (नेट कनेक्शन सहित) उपलब्ध है उनको ही प्राथमिकता पर चिन्हित किया जाय तथा थर्मल प्रिन्टर का क्रय नोडल सी0एल0एफ0/एस0एच0जी0/सम्बन्धित महिला सदस्य द्वारा किया जायेगा तथा प्रिन्टर क्रय की धनराशि समूह/सी0एल0एफ0 जैसी भी स्थिति हो, ऋण के रूप में ली जायेगी। अनुमानतः 1000 कन्ज्यूमर पर एक महिला का चिन्हांकन किया जायेगा। प्रत्येक जिले में विकास खण्डवार नोडल सी0एल0एफ0 (जो 1 से 4 हो सकता है) नामित किया जायेगा। जहां पर सी0एल0एफ0 गठित नहीं हो सके हैं वहां पर चिन्हित एस0एच0जी0	**समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
		नोडल के रूप में नामित होंगे। नामित सी0एल0एफ0 /स्वयं सहायता समूह को जी0एस0टी0 पंजीकरण भी कराना होगा। साथ ही समय–समय पर पावर कारपोरेशन को बिल प्रस्तुत करेंगी जिसमें पावर कारपोरेशन रू0 2000/– की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक बिल के सापेक्ष रू0 20/– प्रति बिल तथा रू0 2000/– से अधिक के बिल की धनराशि होने की दशा में एक प्रतिशत की दर से कमीशन के रूप में भुगतान करेगा तथा सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह/नोडल सी0एल0एफ0 पावर कारपोरेशन से भुगतान कर सम्बन्धित महिला को भुगतान करेगा। चूंकि यह एक नवीन परियोजना है तथा महिलाओं द्वारा प्रथम बार किया जा रहा है। इस हेतु वांछित धनराशि सी0एल0एफ0, रिवाल्विंग फण्ड अथवा सी0आई0एफ0 फण्ड, जैसी भी स्थिति हो ऋण के रूप में समूह को उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान में सभी जनपदों एवं सम्बन्धित पावर कॉरपोरेशन कार्यालय के साथ अनुबन्ध किया जा चुका है। कृपया उपरोक्त प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
6.7	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन।	खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की दुकानों का आवंटन किया जाता है। इन दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी भी करायी जाने के सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग के साथ समन्वय कर खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता दिये जाने का शासनादेश दिनांक 07 जुलाई, 2020 को निर्गत कराया गया है। वर्तमान में उचित दर की निरस्त हुयी 1862 दुकानें उपलब्ध हैं, जिनका आवंटन स्वयं सहायता समूहों को किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस हेतु अब तक 903 स्वयं सहायता समूहों का चिन्हांकन किया जा चुका है तथा 66 दुकानों को आवंटित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है, जो प्रक्रियाधीन है।	**समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**
6.8	उ0प्र0 राज्य	उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के गठन के	**समिति द्वारा अनुमोदन**

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
	ग्रामीण आजीविका मिशन के पते में परिवर्तन के सम्बन्ध में अनुमोदन।	समय मिशन का कार्यालय, आयुक्त ग्राम्य विकास के अधीन जवाहर भवन में स्थापित किया गया था तथा पंजीकरण के समय दर्ज कराया गया पता कमिश्नर, रुरल डेवलेपमेंट, 10वां तल, जवाहर भवन, लखनऊ है। वर्तमान में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यालय प्रथम तल, एल्डिको टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में स्थापित है। अतः उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज पूर्व के पते के स्थान पर वर्तमान पता– प्रथम तल, एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ दर्ज किया जाना प्रस्तावित है। कृपया समिति से पता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	**प्रदान किया गया।**

(आलोक सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांकः– 1434/165°/आजीविका/एम0 एण्ड ई0/2020–21/लखनऊ, **दिनांकः–** 27 **अगस्त, 2020**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त सदस्य, शासी निकाय, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
2. गार्ड फाइल।

(सुजीत कुमार)
मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।